बिहार सूचना आयोग
चतुर्थ तल, सूचना भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800015
दूरभाष-2215713, 2235059, फैक्स-2235466

पत्रांक 1/स्था0–09/2017...625...(बि.सू.आ.) पटना, **दिनांक**...14/02/..., 2022

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार,
विधि पदाधिकारी,
बिहार सूचना आयोग,
पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार सरकार के सभी विभाग।
पुलिस महानिदेशक, बिहार।
बिहार के सभी **प्रमंडलीय आयुक्त**।
बिहार के सभी **जिलाधिकारी।**

केवल आधिकारिक Email पर

विषय–बिहार सूचना आयोग के वेबसाइट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत बिहार सूचना आयोग में दायर द्वितीय अपील/शिकायत आवेदनों के संबंध में यथा–संभव अद्यतन जानकारी आयोग के वेबसाइट www.sic.bih.nic.in पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जनसामान्य एवं राज्य सरकार के लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार इसका लाभ प्राप्त कर सकें और उन्हें किसी वाद की सुनवाई की तिथि अथवा इसके स्थगन (Adjournment) की सूचना ससमय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए भी उक्त वेबसाइट पर अलग से लिंक उपलब्ध है। आयोग द्वारा अपने नए वेबसाइट को लगातार परिवर्द्धित एवं विकसित करने तथा उस पर नई सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में यह तथ्य सामने आ रहा है कि आयोग का वेबसाइट नया होने तथा इसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहीं होने के कारण लक्षित समूह इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहा है।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं (ITeS) के माध्यम से आयोग में पंजीकृत मामलो की सुनवाई को ज्यादा सुगम एवं कम व्यय–साध्य बनाने के दो मुख्य उद्येश्यों से प्रयोक्ता के लिए निःशुल्क ऑनलाइन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म (यथाः माइक्रोसॉफ्ट टीम्स) पर भी सुनवाई की सुविधा प्रदान की जा रही है जिससे संबंधित विस्तृत अनुदेश आयोग के पत्रांक–536, दिनांक–10.01.2022 (**छाया–प्रति संलग्न**) के माध्यम से पूर्व में ही प्रचारित (Circulaled) हैं और इन अनुदेशों के संबंध में आयोग द्वारा राज्य के अन्दर प्रकाशित दो प्रमुख समाचार–पत्रों में पी.आर. संख्या–011509(Ni.Ni.)2021–22 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कराई गई है। सुलभ अवलोकन हेतु आयोग का पत्रांक–536, दिनांक–10.01.2022 आयोग के वेबसाइट पर Important/Urgent Notices Link पर भी उपलब्ध है। मोबाइल एवं इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता की वर्तमान स्थिति में यदि इसका लाभ ज्यादा–से–ज्यादा लोक सूचना

पदाधिकारियों / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा लिया जाता है, तो इससे सुनवाई के क्रम में पटना आने–जाने के लिए देय यात्रा–भत्ता मद में न केवल सरकारी राजस्व की काफी बचत होगी, बल्कि लोक सूचना पदाधिकारियों / प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों के बहुमूल्य समय की भी बचत होगी जिससे वे अपने मूलभूत अधिकारिकों दायित्वों के संपादन में ज्यादा समय दे पाएँगे।

3. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि:(**i**) अपने–अपने विभागों / प्रमंडलों / जिलों / कार्यालय के वेबसाइट पर बिहार सूचना आयोग के वेबसाइट पर पहुँचने (Redirect) हेतु एक स्थायी लिंक उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक करने की कृपा की जाए ताकि आयोग के वेबसाइट की दृश्यता (Visibility) बढ़ सके और इसका लाभ ज्यादा–से–ज्यादा हितधारकों को मिल सके, और (**ii**) साथ ही, आयोग के पत्रांक–536, दिनांक–10.01.2022 को भी अपने अधीनस्थ लोक सूचना पदाधिकारियों / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के बीच ज्यादा–से–ज्यादा परिचारित करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

4. इसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Upendra Kumar 14.2.22

(उपेन्द्र कुमार)
विधि पदाधिकारी